हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामफूल बनाम रामस्वरूप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-10-25 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/~~अपील कर्ता/रिस्पोडेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/11/25 को पेश हो। रीडर	
17-11-25 वकील प्रार्थी उप० । वार्ता बहस हेतु पत्रावली दिनांक 17-12-25 को पेश हो	
17-12-25 वकील प्रार्थी उप० है। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 9-1-26 को पेश हो	
9-1-26 वकील प्रार्थी उप० है। वकील प्रार्थी ने भूमि ख.नं. 763/420, 413, 415, 421 ग्राम गंगापुर सिटी के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है राजस्व अभिलेख के अनुसार उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है। भूमि सहखातेदारी के होने के कारण भूमि के प्रत्येक भाग पर सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जावेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थी भूमि के सहखातेदारों के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वादकरण निस्तारित समझा जावे।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.03 11:35:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)